न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2022/155

1. भागीरथ पुत्र झूँथा, जाति गुर्जर निवासी ढाणी गुर्जपुरा तन बागावास चौरासी तहसील विराटनगर (अलवर)

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील विराटनगर

—रेस्पोडेन्ट

2. मूंगाराम पुत्र रामलाल वगैरह,
3. रामसहाय पुत्र रामनाथ वगैरह,
4. प्रभाती देवी पत्नि ग्यारसीलाल वगैरह,
5. मूंगाराम पुत्र रामलाल, समस्त जाति गुर्जर निवासी ढाणी गुर्जपुरा तन बागावास चौरासी, तहसील विराटनगर

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री राकेश शेखावत एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

दिनांकः—22.07.2024

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार विराटनगर ने दिनांक 11.04.2019 को एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम ढाणी जोगियान पटवार मण्डल बागावास चौरासी में स्थित खसरा नम्बर 369/0.13 हैक्टयर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम, खसरा नम्बर 810/0.13 हैक्टयर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम, खसरा नम्बर 809/0.19 हैक्टयर अप्रार्थीगण संख्या 3 के नाम, खसरा नम्बर 808/0.23 हैक्टयर अप्रार्थीगण 4 के नाम एवं ग्राम गुजरपुरा पटवार मण्डल बागावास चौरासी में स्थित खसरा नम्बर 384/0.13 हैक्टयर अप्रार्थीगण संख्या 5 के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070—2073 है। आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 369/0.13 में से 0.13, 810/0.13 में से 0.13, 809/0.19 में से 0.19, 808/0.23 में से 0.23, 384/0.13 में से 0.13 हैक्टयर के सम्बन्ध में राजस्व विभाग(राजस्व ग्रुप—6) राजस्थान सरकार के परिपत्र प.3(2)राज—6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया है कि उक्त खसरा नम्बर नक्शा में दर्शित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अनुसार अलवर रोड़ से बागावास चौरासी तक आम रास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है रास्ता कच्चा बना हुआ है। अतः उक्त रास्ते को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में आम रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट अपीलार्थी के अन्यथा भी चार खातेदारों के नाम बतौर पक्षकार अप्रार्थी संयोजित किये गया था जबकि उक्त चारों अप्रार्थीगण(वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5) का उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही देहान्त हो चुका था परन्तु फिर भी द्वारा मरे हुए व्यक्तियों के विरूद्ध न केवल प्रार्थना पत्र पेश किया गया अपितू उक्त अप्रार्थीगण पर तामील दर्शाई जाकर एकपक्षीय कार्यवाही भी अमल में लाई गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण में ग्राम गुर्जरान के कुछ निहित स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया है। ना कि आम जनता द्वारा एवं तहसीलदार ने गेर असर उपरोक्त व्यक्तियों के वर्तमान प्रार्थना पत्र बिना किसी प्रकार की जांच पड़ताल एवं बिना प्रमाणित पक्षकारों के सुनवाई किये ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है जो कि कुछ व्यक्तियों को व्यक्तिगत फायदा पहुॅचाने की गरज से प्रस्तुत किया गया है जो कि सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 369/0.13 हैक्टयर वाके ग्राम जागीयान खातेदारी काश्त की आराजी है जिसके साबिक खसरा नम्बर 259 मिन रहा है जो कि अप्रार्थी के बुर्जगान झूॅथा की खातेदारी की भूमि रही है जिसमें कभी भी कोई रास्ता नही रहा है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि शिकायतकर्ताओं ने आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है जिसे स्वयं तहसीलदार ने मय जाप्ता हटाया था परन्तु शिकायतकर्ताओं ने पुनः आम रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया और मिथ्या शिकायत कर अब नया रास्ता कायम करवाने की गरज से वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी का यह भी कथन रहा कि उपरोक्त रास्ते के अतिरिक्त हाल खसरा नम्बर 371 372 378 में साबिक रिकार्ड के समय से ही रास्ता रहा है जिस पर शिकायतकर्ताओं ने स्वयं अतिक्रमण कर रखा है शिकायतकर्ताओं के वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध होते हुए भी सभी तथ्यों को छुपाकर नया रास्ता कायम करवाने के लिए वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया है कि दस्तावेजी साक्ष्य से यह सत्यापित तथ्य है कि खसरा नम्बर 369 वाके ग्राम गुर्जरपुरा अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है एवं उस पर अपीलार्थी काश्त करता आ रहा है एवं उक्त आराजी पर कभी भी रास्ता आम नही रहा है परन्तु उक्त दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया जो अवैध एवं अनुचित है एवं अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2019 को अपास्त फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार ऐसे स्थायी रास्ते जो अभिलेख में नही है तथा ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नही है तथा आमजन के आने–जाने हेतु उपलब्ध है, ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने के संदर्भ में तहसीलदार विराटनगर के समक्ष आमजन ग्राम जनता गुजरपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रकरण में पटवारी हल्का से मौके व राजस्व रिकार्ड की जॉच करवाई गई तथा बाद जॉच प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है तथा अपीलार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान् या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किया गया है जिससे मौके पर सड़क/आम रास्ता बना हुआ साबित नही होता हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को तलबी नोटिस जारी किये गये थे जिनमें से सिर्फ अपीलार्थी की ही सम्यक रूप तामिल करवाई गई बाकी तरतीबी रेस्पोडेन्ट की सम्यक रूप से तामिल नही करवाई गई है जबकि अपीलार्थी का तो दौराने बहस कथन रहा है तरतीबी रेस्पोडेन्ट की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना विस्तृत जॉच किये ही मृत व्यक्तियों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2019 पारित किया गया है जो न्यायिक प्रक्रिया एवं विधि विरूद्ध होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता। अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है किः– अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2019 को निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।